झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/07–योजना–02/2024 – 1739(S) दिनांक – 23/04/26

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Reconstruction of Bhajania of Mohamadganj to Haidernagar via Kolhua, Bardiha, Pansa, Adhori and Ranideva Road (कुल लंबाई–17.372 कि0मी0) (Job No. CRF-JHR-2022-23/63) हेतु रू0 117,91,53,200/– (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 50,75,49,927/– (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति के संबंध में ।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 117,91,53,200/– (एक सौ सत्तरह करोड़ एकानबे लाख तिरपन हजार दो सौ रूपये) मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 50,75,49,927/– (रूपये पचास करोड़ पचहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ सताईस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य का मूल प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–4036(S) दिनांक 25.09.24 द्वारा रू0 92,03,08,600/– (बानबे करोड़ तीन लाख आठ हजार छः सौ रू0) मात्र की राशि पर तथा इसमें सन्निहित राशि रू0 23,36,47,910/– (रूपये तेईस करोड़ छत्तीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ दस) मात्र को राज्यांश की राशि के रूप में वहन की स्वीकृति हेतु प्रदत्त है।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष–"मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष–337–सड़क निर्माण कार्य/उप शीर्ष–01–वृहद सड़कें/विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण –45–निर्माण कार्य" के अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय सीमा के अधीन विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डाल्टेनगंज होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, डाल्टेनगंज से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न संशोधित वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य
2024–25 तक व्यय	रू0 2247.10820 लाख
2025–26 तक व्यय	रू0 500.000 लाख
2026–27	रू0 2328.39107 लाख

6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

23/04/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना–02 / 2024 – 1739(S) दिनांक– 23/04/26

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, डाल्टेनगंज / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डाल्टेनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि योजना कार्यान्वयन हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप निधि का प्रबंध सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रमाणिकता एवं सत्यता की जाँच सुनिश्चित कर ली जाय।

5. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

23/04/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना–02 / 2024 –1739(S) दिनांक– 23/04/26

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर(डाल्टेनगंज) / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची / उपायुक्त, डालटेनगंज / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (मु0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/04/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना–02 / 2024 –1739(S) दिनांक– 23/04/26

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, डाल्टेनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/04/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प0नि0वि0 / 07–योजना–02 / 2024 –1739(S) दिनांक– 23/04/26

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

23/04/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।